न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 31/2021, जिला दौसा जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/59

1. हरसहाय पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहमण निवासी उदावाला तहसील दौसा जिला दौसा।
— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान।
— रेस्पोडेन्टस

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 29.12.2020 जो प्रकरण अपील अनुवानी हरसहाय बनाम राजस्थान सरकार अपील संख्या 151/2018 में पारित किया गया है व आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार सैंथल जिला दौसा दिनांक 20.08.2018 जो प्रकरण अनुवानी सरकार बनाम हरसहाय प्रकरण संख्या 128/2018 अन्तगर्त धारा 91 पर पारित किया गया है।

उपस्थित–
1. श्री सतीश कुमार पारीक, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1

निर्णय

दिनांक –26.09.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 29.12.2020 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ दिनांक 26.03.2021 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार सैंथल जिला दौसा ने दिनांक 20.08.2018 को ग्राम उदावाला तहसील दौसा के खसरा नं0 190 के रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि पर संवत 2075 खरीफ में तारबंदी कर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं शास्ति आरोपित कर तथा 90 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2020 द्वारा खारिज किये के आदेश पारित किये गये।

3. नायब तहसीलदार सैंथल जिला दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2018 तथा जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.12.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश नायब तहसीलदार सैंथल जिला दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2018 तथा जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.12.2020 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि न्यायालय नायब तहसीलदार सैंथल ने पटवारी हल्का बोरोदा की निहायत ही झूंठी रिपोर्ट के आधार पर वाके ग्राम उदावाला तहसील दौसा में सिति गैर मुमकिन रास्ता खसरा नंबर 190 के रकबा 0.01 हैक्टयर भूमि पर अतिक्रमण मानकर बिना कोई जांच किये बिना अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना व बिना कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिए बिना अपीलांट की पीठ पीछे से दिनांक 20.08.2018 को 5/–रूपये की शास्ती व 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने दिनांक 29.12.2020 को कानून के विपरीत तरीके से खारिज कर दिया। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी रास्ते की भूमि पर अतिचार नहीं किया है। वाके ग्राम उदावाला तहसील दौसा में अपीलान्ट की पत्नि भली पत्नि हरसहाय के नाम कृषि भूमि खसरा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

नम्बर 7 रकबा 0.37 हैक्टर खसरा नम्बर 8 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 214 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 216 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.26 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.80 हैक्टेयर स्थित है उक्त भूमि के आगे गैर मुमकिन रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 190 स्थित है। उक्त रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 190 स्थित है। उक्त रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 190 के लगते भूमि खसरा नम्बर 173, 184, 188, 189, 184 के खातेदारान ने अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट ने तो अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रशासन गॉव के संग अभियान में प्रार्थना पत्र उप तहसील जी सैंथल को प्रस्तुत कर रखा है लेकिन आज तक सीमाज्ञान नहीं हुआ है बल्कि दिनांक 13.08.2018 को तहसीलदार महोदय दौसा के नेतृत्व में रेवेन्य टीम भू0अ0नि0 सैंथल बापी, पटवार हल्का बोरोदा, बिनावाला, सैथल, तीतरवाडा कलां की टीम ने भूमि खसरा नम्बर 190 तथा भूमि खसरा नम्बर 184, 189, 173, 229, 215 लगायत 220 तथा खसरा नम्बर 191, 192, 193 का मौका देखा तथा मौके पर फसल खडी होने के कारण सीमाज्ञान नहीं हो सका है। जब मौके पर फसल है तथा फसल खडी होने के कारण दिनांक 13.08.2018 को उक्त रेवेन्यू टीम द्वारा सीमाज्ञान नहीं किया जा सका तो दिनांक 8.8.2018 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट स्पष्टतः बिना मौके देखे बिना व बिना सीमाज्ञान किये बिना, व बिना अतिक्रमण सिद्ध हुए बिना निहायत ही गलत सिद्ध अपने आप हो जाती है, उक्त रिपोर्ट के आधार पर उप तहसीलदार महोदय ने अपीलान्ट को दिनांक 20.08.2018 को उपस्थिति बावत नोटिस दिया, जिस पर अपीलान्ट दिनांक 20.08.2018 को तहसीलदार/तहसीलदार दौसा महोदय के समक्ष उपस्थित आया तथा दिनांक 20.08.2018 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जवाब नोटिस पेश किया। जिसमें उपरोक्त समस्त उज्र अपीलान्ट ने रखे तथा कोई जुर्म स्वीकार नहीं किया बल्कि मौका रिपोर्ट हेतु व प्रार्थना पत्र की बहस हेतु समय चाहा तो तहसीलदार महोदय ने अपीलान्ट के खाली ऑर्डरशीट पर हस्ताक्षर करवा लिये, तथ बाद में तारीख मालूम करने के लिए कह दिया तथा उप तहसीलदार महोदय ने पीछे से उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर बिना कोई मौका देखे बिना अपीलान्ट के पीछे से दिनांक 20.08.2018 की तारीख में बिना कोई अतिक्रमण हुये बिना बेदखली का आदेश पारित करते हुए पैलेन्टी राशि 5 रूपये शास्ती आरोपित कर दी तथा 90 दिवस का कारावास का आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार सैंथल के आदेश दिनांक 20.08.2018 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा के अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट में खसरा नम्बर 190 के रकबा 0.01 है0 पर अतिक्रमी द्वारा तारबंदी की जाकर अतिक्रमण करना बताकर एवं अपीलांट द्वारा गै0मु0 रास्ता भूमि पर तारबंदी कर अतिक्रमण मानते हुये नायब तहसीलदार सैंथल द्वारा पारित आदेश को तवज्जो देकर प्रार्थी अपीलान्ट की अपील आदेश दिनांक 29.12.2020 से खारिज कर दी। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी या गैर मुमकिन रास्ते पर कोई अतिक्रमण नहीं किया बल्कि अपीलान्ट ने सन् 2014 से लेकर 2018 तक उक्त रास्ते के अतिक्रमण कार्यों की शिकायत की है किन्त अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के खिलाफ ही निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जिसकी अपील को अधिनसी अपीलीय न्यायालय ने खारिज करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2020 की कतई जानकारी नहीं थी। क्योंकि अपीलान्टकी अपील को अपीलान्ट के अधिवक्ता ही संभाल रहे थे व आवश्यकता पडने पर बुलाने की कह रखी थी परन्तु अपीलान्ट के अधिवक्ता अपीलान्ट को सूचना नहीं दे पाये इसलिए अपीलान्ट को जानकारी नहीं हो पायी। दिनांक 28.1.2021 को पुलिस थाना सैथल का सिपाही अपीलान्ट के घर आया तथा उस समय अपीलान्ट घर पर मौजूद नहीं था। सिपाही अपीलान्ट के घर पर कह कर गया कि अपीलान्ट के तहसील सैथल से वारण्ट है उसको थाने पर भेज देना तब अपीलान्ट ने दौसा आकर तलाश किया तो अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। तब दिनांक 1.2.2021 को नकल निकलवायी व अपीलान्ट घर चला गया। इसके बाद अपीलान्ट बुखार से पीडित हो जाने के कारण अपील पेश नहीं कर सका। व ठीक होने पर दौसा आकर वकील नियुक्त किया व जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश की जा रही है। दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र संलग्न है। दोनों न्यायालयों ने जो आदेश पारित किया है वह कतई गैर वाजिब है। निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

तहसीलदार सैंथल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2018 एवं जिला कलक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 29.12.2020 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट स्वंय अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ। अपीलान्ट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। नोटिस की तामील पर स्वंय अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित है जो पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अतः अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई व सबूत एवं जिरह का अवसर नहीं दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 190 रकबा 0.16 हैक्ट. किस्म जमीन गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम उदावाला पटवार हल्का बोरोदा रिकार्ड में दर्ज है, में अतिचार श्री हरसहाय पुत्र रामेश्वर, जाति ब्राहमण, निवासी उदावाला उपतहसील सैंथल तह. दौसा द्वारा संवत 2075 खरीफ, में गैर मुमकिन रास्ता में रकबा 0.01 हैक्ट. में अतिचार किया। आराजी सुतनाजा पर गत वर्ष भी अतिचार किया। जिसकी मैनें रिपोर्ट पारित किया। जिसकी पालना में आराजी मुतनाजा पर पहुंच कर इसे आराजी मुतनाजा से बेदखल किया। इसके बावजूद उक्त ने पुनः आराजी पर अतिचार किया है। यह पश्चातवर्ती व आदतन अतिचारी है। उक्त आराजी पर किसी भी न्यायालय का आज दिनांक स्थगन आदेश नहीं है। उक्त अतिचारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना अंकित किया है। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट को दिनांक 20.08.2018 को नोटिस तामील हुआ है। नोटिस तामील होने के उपरांत अपीलांट स्वंय अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.08.2018 को न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल में उपस्थित हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई व साक्ष्य एवं जिरह का अवसर नहीं दिया गया। उप तहसीलदार सैंथल द्वारा पटवारी हल्का के भी बयान दर्ज किये गये हैं। पटवारी हल्का ने अपने बयान में यह कथन किया है कि अपीलान्ट को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया। इसके बावजूद उक्त ने पुनः आराजी पर अतिचार किया है। यह पश्चातवर्ती व आदतन अतिचारी है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.08.2018 में अंकित किया है कि पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट की रिकार्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन करवाया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में खसरा नं. 190 के रकबा 0.01 है0 पर अतिक्रमी द्वारा तारबंदी की जाकर अतिक्रमण करना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा गै0मु0 रास्ता भूमि पर तारबंदी कर अतिक्रमण किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने के कारण निरस्त की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किये गये हैं, विधिसम्मत पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2020 पारित किया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 29.12.2020 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/9/23

(असलम शेर खान)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर